



Neutral Citation No. - 2026:AHC:50033-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या - 756 वर्ष 2025

राहुल एवं 4 अन्य

.....अपीलार्थीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, माध्यम से प्रमुख सचिव एवं 5 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता : प्रभाकर अवस्थी (वरिष्ठ अधिवक्ता) सह सौरभ त्रिपाठी
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : राजीव सिंह (एस.सी.), गिरीजेश तिवारी

मुख्य न्यायमूर्ति की न्यायपीठ

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली
माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. अपीलार्थीगण की ओर से श्री प्रभाकर अवस्थी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जिन्हें श्री सौरभ त्रिपाठी द्वारा सहयोग प्रदान किया गया, प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं 2 की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा निजी प्रत्यर्थीगण की ओर से श्री गिरीजेश तिवारी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया।
2. प्रस्तुत अपील 130 दिवस के विलंब से प्रस्तुत होना अभिलिखित है। विलंब क्षमा हेतु बी.एन.एन.एस. की धारा 5 के अंतर्गत एक प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया है तथा उक्त प्रार्थना-पत्र के समर्थन में दायर शपथ-पत्र में यह कथन किया गया है कि विलंब इस कारण से हुआ कि प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन कार्यवाहियों की प्रति सहायक पंजीयक, फर्म्स, सोसायटीज़ एवं चिट्स, प्रयागराज के कार्यालय से प्राप्त की जानी थी, जो दिनांक 22.08.2025 को प्राप्त हो सकी; अतः विलंब क्षमा किए जाने का अनुरोध किया गया है।
3. शपथ-पत्र में दिए गए कारणों के आधार पर विलंब क्षमा प्रार्थना-पत्र **स्वीकार** किया जाता है तथा अपील दाखिल करने में हुआ विलंब क्षम्य किया जाता है।
4. वर्तमान अपील दिनांक 08.04.2025 के उस आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा विद्वान एकल न्यायमूर्ति ने अपीलार्थीगण द्वारा दायर रिट-सी संख्या 9686 सन् 2025

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को इस टिप्पणी के साथ निरस्त कर दिया था कि यदि याचिकाकर्ता-अपीलार्थीगण उचित समझें तो वे आक्षेपित आदेश को उपयुक्त कार्यवाही में सक्षम मंच के समक्ष चुनौती दे सकते हैं।

5. अपीलार्थीगण द्वारा दायर रिट याचिका में सहायक पंजीयक द्वारा पारित दिनांक 31.05.2024 एवं 18.09.2024 के आदेशों को चुनौती दी गई थी। दिनांक 31.05.2024 के आदेश द्वारा विवादित सोसायटी के वर्ष 2024-25 हेतु पदाधिकारियों की सूची को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (अधिनियम) की धारा 4-बी के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था, तथा दिनांक 18.09.2024 के आदेश द्वारा अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 31.05.2024 के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत आपत्तियों को निरस्त कर दिया गया था।

6. विद्वान एकल न्यायमूर्ति के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया था कि वर्ष 2005 के पश्चात संबंधित सोसायटी के कोई भी निर्वाचन संपन्न नहीं हुए हैं तथा न ही कोई कार्यकारिणी सूची पंजीकृत की गई थी, अतः वैध प्रबंधन समिति के अभाव में दो व्यक्तियों, क्रमशः दीपेन्द्र देव एवं अभिषेक यादव, का समावेशन पूर्णतः अवैध एवं क्षेत्राधिकार विहीन है।

7. उक्त तर्कों का प्रत्यर्थीगण की ओर से विरोध किया गया तथा यह कहा गया कि न केवल रिट याचिका अत्यधिक विलंब से दायर की गई है, बल्कि वर्ष 2005 के पश्चात समय-समय पर सहायक पंजीयक द्वारा पंजीकृत विभिन्न कार्यकारिणी सूचियों का भी सहारा लिया गया है।

8. विद्वान एकल न्यायमूर्ति ने अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों एवं पक्षकारों की दलीलों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि वर्ष 2005 के पश्चात निर्वाचन हुए अथवा नहीं, यह तथ्यात्मक प्रश्न है, जिसका निर्धारण मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर ही किया जा सकता है। साथ ही यह भी माना गया कि दो सदस्यों के समावेशन की वैधता अथवा अवैधता भी तथ्य का प्रश्न है, अतः उस चरण पर रिट याचिका विचारणीय नहीं थी। परिणामस्वरूप याचिका को निरस्त करते हुए यह स्वतंत्रता प्रदान की गई कि अपीलार्थीगण उचित मंच के समक्ष उपयुक्त कार्यवाही कर सकते हैं।

9. वर्तमान अपील में अपीलार्थीगण की ओर से एक अनुपूरक शपथ-पत्र दाखिल किया गया है, जिसमें सहायक पंजीयक द्वारा दिनांक 09.12.2025 को पारित आदेश को अभिलेख पर लाया गया है, जिसके द्वारा सोसायटी की वर्ष 2025-26 की कार्यकारिणी सूची को धारा 4(1) एवं 4-बी के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। साथ ही सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण का

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रमाण-पत्र भी संलग्न किया गया है, जो दिनांक 10.10.2025 से पाँच वर्ष की अवधि हेतु प्रभावी है।

10. अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा जोरदार तर्क प्रस्तुत किया गया कि वर्ष 2005 के पश्चात सोसायटी के कोई भी निर्वाचन संपन्न नहीं हुए हैं तथा प्रत्यर्थीगण द्वारा विद्वान एकल न्यायमूर्ति के समक्ष प्रस्तुत की गई सूचियाँ वास्तव में सोसायटी द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्था की प्रबंधन समिति के निर्वाचन से संबंधित हैं। यह भी कहा गया कि यद्यपि सहायक पंजीयक द्वारा विभिन्न वर्षों हेतु सोसायटी के पदाधिकारियों की कुछ सूचियाँ पंजीकृत की गई हैं, तथापि चूँकि वे किसी वैध निर्वाचन पर आधारित नहीं हैं, इसलिए केवल ऐसे पंजीकरण को आधार बनाकर की गई कार्यवाही विधि विरुद्ध है। अतः विद्वान एकल न्यायमूर्ति द्वारा कम से कम सहायक पंजीयक के कार्यालय से संपूर्ण अभिलेख तलब किया जाना चाहिए था ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वास्तव में सोसायटी के कोई निर्वाचन संपन्न हुए हैं अथवा नहीं।

11. यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्तागण की ओर से रिट न्यायालय के समक्ष यह तर्क भी रखा गया कि रिट याचिका प्रस्तुत करने में कोई विलंब नहीं हुआ था, क्योंकि समस्त कार्यवाही प्रत्यर्थीगण द्वारा गोपनीय एवं पीठ पीछे तरीके से की गई थी तथा याचिकाकर्तागण को उक्त कार्यवाहियों की कोई जानकारी नहीं दी गई थी। अतः प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुत विलंब संबंधी तर्क पूर्णतः निराधार, तथ्यों के विपरीत एवं विधि के विरुद्ध हैं।

12. प्रत्युत्तर में प्रत्यर्थीगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि रिट याचिका में दिनांक 31.05.2024 के आदेश को दी गई चुनौती पूर्णतः निराधार है, क्योंकि उक्त आदेश द्वारा सहायक पंजीयक ने वर्ष 2024-25 हेतु सोसायटी के पदाधिकारियों की सूची को विधिवत पंजीकृत किया था तथा यह तथ्य भी स्पष्ट किया गया कि समय-समय पर संपन्न कथित निर्वाचन के उपरांत पदाधिकारियों की सूचियाँ निरंतर पंजीकृत होती रही हैं, जिन्हें अपीलार्थीगण द्वारा कभी भी चुनौती नहीं दी गई; अतः दिनांक 31.05.2024 के आदेश को चुनौती देने में कोई सारवान आधार विद्यमान नहीं है।

13. दिनांक 18.09.2024 के द्वितीय आक्षेपित आदेश के संबंध में प्रत्यर्थीगण की ओर से यह निवेदन किया गया है कि उक्त आदेश द्वारा अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दिनांक 05.06.2024 के संक्षिप्त आपत्तियों को सहायक पंजीयक द्वारा निरस्त किया गया था, तथा उक्त आपत्तियों में

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ऐसा कोई अभिकथन नहीं किया गया था, जो अब अपील में उठाया जा रहा है; विशेष रूप से यह कि वर्ष 2005 के पश्चात सोसायटी के पदाधिकारियों के कोई निर्वाचन संपन्न नहीं हुए। यह भी कहा गया कि यह कथन न तो सहायक पंजीयक के समक्ष कभी लिया गया था और न ही यह अपीलार्थीगण का पूर्ववर्ती रुख था।

14. हमने पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है।

15. विद्वान एकल न्यायमूर्ति के आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि रिट याचिका को विलंब/लैचेज के आधार पर निरस्त नहीं किया गया है, बल्कि यह टिप्पणी करते हुए कि न्यायालय यदि उचित समझे तो याचिकाकर्तागण को विलंब के स्पष्टीकरण हेतु अनुपूरक शपथ-पत्र दाखिल करने का अवसर प्रदान कर सकता है, फिर भी न्यायालय ने मामले का अंतिम निस्तारण करते हुए विलंब के अतिरिक्त अन्य आधारों पर रिट याचिका को निरस्त किया है। अतः हम रिट याचिका में की गई विलंब संबंधी आपत्ति के प्रश्न पर विचार करना आवश्यक नहीं समझते।

16. जहाँ तक सोसायटी के पदाधिकारियों के निर्वाचन से संबंधित प्रस्तुत तर्कों का प्रश्न है, हम पाते हैं कि अपील की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 247 पर वर्ष 2019-20 हेतु पंजीकृत पदाधिकारियों की सूची संलग्न है तथा पृष्ठ संख्या 250 पर वर्ष 2022-23 की पंजीकृत सूची संलग्न है। सोसायटी के पदाधिकारियों का कार्यकाल तीन वर्ष का होने के कारण वर्ष 2019-20, 2022-23 एवं 2025-26 (जैसा कि अनुपूरक शपथ-पत्र के साथ संलग्न दिनांक 09.12.2025 के आदेश से परिलक्षित होता है) की तीन सूचियाँ यह संकेत करती हैं कि समय-समय पर पदाधिकारियों की सूचियाँ पंजीकृत होती रही हैं। यह प्रश्न कि उक्त सूचियाँ किसी वैध निर्वाचन पर आधारित हैं अथवा नहीं, इस चरण पर निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि न तो रिट न्यायालय के समक्ष और न ही इस न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत किया गया है जिससे यह स्थापित हो सके कि अपीलार्थीगण द्वारा वर्ष 2019-20 अथवा 2022-23 की सूचियों के पंजीकरण को किसी भी आधार पर कभी चुनौती दी गई हो। अतः नवीनतम सूची के पंजीकरण को चुनौती देना प्रथम दृष्टया एक पश्चातवर्ती विचार प्रतीत होता है तथा चूँकि विद्वान एकल न्यायमूर्ति द्वारा अपीलार्थीगण को उपयुक्त मंच के समक्ष उपयुक्त उपाय

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपनाने की स्वतंत्रता पूर्व में ही प्रदान की जा चुकी है, इसलिए हम इस प्रकरण में भिन्न दृष्टिकोण अपनाने का कोई समुचित कारण नहीं पाते हैं।

17. दिनांक 18.09.2024 के आदेश को चुनौती के संबंध में प्रत्यर्थागण की ओर से प्रस्तुत तर्क में पर्याप्त बल प्रतीत होता है कि उक्त आदेश अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 05.06.2024 को प्रस्तुत आपतियों से संबंधित था, जो मुख्यतः इस आरोप तक सीमित थीं कि कुछ व्यक्तियों के कथित रूप से जाली शपथ-पत्र सहायक पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। संदर्भ हेतु उक्त दिनांक 05.06.2024 की आपतियाँ, जो अपीलार्थी संख्या 2 की ओर से दाखिल की गई थीं, निम्नानुसार उद्धृत की जाती हैं:-

"सेवा में,

दिनांक- 05/06/2024

सहायक निबन्धक

फर्म्स सोसाइटीज एण्ड चिट्स

ए-201, मेहदौरी कालोनी, तेलियरगंज, प्रयागराज

महोदय जी,

निवेदन है कि संस्था शिक्षा समिति दसेर, भूपतपुर, हण्डिया, प्रयागराज पत्रावली संख्या आई-17271 की साधारण सभा की सूची वर्ष 2024-25 प्रबन्धक द्वारा मनमाने तरीके से स्वयं मेरा, श्रीमती लीलावती, श्री शास्वत, श्री मयंक यादव, श्री पन्नालाल यादव, श्री राम सिंह, श्री अतुल कुमार और श्री हरिश्चन्द्र यादव का फर्जी हस्ताक्षर किया हुआ शपथ पत्र लगाकर अनुमोदित करा ली गई है।

अतः आप महोदय से निवेदन है कि उक्त मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्यवाही करते हुए साधारण सभा की सूची वर्ष 2024-25 निरस्त करने की कृपा करें।

आई-17271

भवदीय

ह०अ०

संगीता

(उपप्रबन्धक)

शिक्षा समिति दसेर, भूपतपुर,

हण्डिया, प्रयागराज"

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



18. प्रत्यर्थीगण की ओर से यह भी निवेदन किया गया है कि दिनांक 18.09.2024 के आदेश द्वारा सहायक पंजीयक ने अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को निरस्त करते समय पक्षकारों की ओर से उनके समक्ष लिए गए अभिवचनों का विधिवत संज्ञान लिया था। तथापि, इस न्यायालय द्वारा उक्त आदेश के गुण-दोषों पर, विशेषकर विद्वान एकल न्यायमूर्ति द्वारा प्रत्यर्थीगण को उपयुक्त मंच के समक्ष चुनौती प्रस्तुत करने की दी गई स्वतंत्रता के दृष्टिगत, कोई भी राय व्यक्त न करते हुए, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि चूँकि अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 05.06.2024 की आपत्तियों में वर्ष 2005 के पश्चात निर्वाचन न होने का कोई भी कथन प्रस्तुत नहीं किया गया था, अतः उक्त आधार पर प्रथम बार रिट याचिका अथवा वर्तमान विशेष अपील में उठाए गए तर्कों पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

19. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, यदि विद्वान एकल न्यायमूर्ति ने अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए याचिकाकर्तागण को कोई राहत प्रदान नहीं की तथा उन्हें यथोचित मंच के समक्ष जाने की स्वतंत्रता प्रदान की, तो हम यह पाते हैं कि ऐसा विवेकाधिकार उचित रूप से प्रयोग किया गया है, जिसमें इस अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

20. अपील में कोई सार नहीं है, अतः इसे निरस्त किया जाता है।

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र) (मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली)

दिनांक : 11 मार्च 2026

ज्योत्सना

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।